रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 4, 2013/फाल्गुन 13, 1934

No. 123] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 4, 2013/PHALGUNA 13, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 157(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अंदमान और निकोबार प्रशासन की अधिसूचना सं. 81/97/एफ/सं. 25-58/95 एमपीएच तारीख 12 जून, 1997 के अधीन अंदमान और निकोबार राजपत्र में 12 जून, 1997 को प्रकाशित अंदमान और निकोबार द्वीप समूह (स्वास्थ्य सेवा) नियम, 1997 को अधिक्रांत करते हुए सिवाए उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हों या जिनके करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंदमान और निकोबार द्वीप समूह (स्वास्थ्य सेवा) नियम, 2013 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "प्रशासन" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के लिए नियुक्त प्रशासक अभिप्रेत है;

(ख) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "नियंत्रक प्राधिकारी" से चिकित्सा अधिकारी, ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए प्रशासक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यकारी चयन श्रेणी) और ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के पदों के लिए भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रलाय अभिप्रेत है;

(घ) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से तीसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट समूह 'क' पदों पर प्रोन्नति या संपुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए समिति अभिप्रेत है;

(ङ) "डयूटी पद" से अनुसूची 1 में सम्मिलित कोई पद अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "श्रेणी" से अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कोई श्रेणी अभिप्रेत है;

(ज) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(झ) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित अंदमान और निकोबार द्वीप समूह स्वास्थ्य सेवा अभिप्रेत है;

3. **सेवा की संरचना और वर्गीकरण.**—(1) अंदमान और निकोबार द्वीप समूह स्वास्थ्य सेवा के नाम से एक सेवा का गठन किया जाएगा ।

(2) सेवा में अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट पांच श्रेणियां होंगी ।

(3) पांच श्रेणियों में पद साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित (अमंत्रालयी) पद होंगे ।

4. श्रेणियां, संख्या और उनका पुनरीक्षण -

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पद, उनकी संख्या और वेतनबैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, सरकार :-

(क) विभिन्न श्रेणियों में ड्यूटी पदों में स्थायी वर्धन या परिवर्तन कर सकेगी ;

(ख) आयोग के परामर्श से सेवा में ऐसे पदों को शामिल कर सकेगी जो सेवा में सम्मिलित पदों के समकक्ष प्रास्थिति, श्रेणी, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान और व्यवसायिक अंतर्वस्तु के लिए समान समझे जाएं या सैवा से किसी पहले से ही शामिल किए गए ड्यूटी पद को हटा सकेगी ; और

(ग) आयोग के परामर्श से सेवा में ड्यूटी पद के रूप में सम्मिलित पद के नियमित पदधारी को सेवा की यथोचित श्रेणी में नियुक्त कर सकेगी और उसके द्वारा उक्त पद पर की गई नियमित सेवा को गणना में लेते हुए समय-समय पर सरकार के साधारण आदेशों या अनुदेशों के अनुसरण में उसकी सेवा में ज्येष्ठता नियत कर सकेगी ।

(3) उपनियम (2) के खंड (ख) और खंड (ग) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी पद के नियमित पदधारी जिसे सेवा में संवर्गीकृत किया गया है को उपनियम (2) के खंड (ग) के अधीन नियुक्ति के लिए योग्य नहीं पाया जाता है तो वह पद धारण करना जारी रखेगा और इस प्रयोजन के लिए उस पद को सेवा से तब तक बाहर माना जाएगा जब तक कि वह पद ऐसे पदधारी द्वारा धारण किया जाता है और ऐसे व्यक्तियों को सेवा में सम्मिलित करने के लिए उपयुक्तता का प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण किया जाएगा ।

5. सेवा के सदस्य -

(1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) नियम 6 के अधीन ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति ; और

(ख) नियम 10 के अधीन ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति ।

(2) उपनियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति नियम 6 के अधीन ऐसी नियुक्ति पर अनुसूची 1 में उसे लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य माना जाएगा ।

(3) उपनियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति नियम 10 के अधीन की गई ऐसी नियुक्ति की तारीख से अनुसूची में उसे लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य माना जाएगा ।

6. सेवा की आरंभिक संरचना -

(1) नियमित आधार पर ड्यूटी पद धारण करने वाले और अंदमान और निकोबार स्वास्थ्य सेवा में नियमित आधार पर इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए गए सभी विद्यमान अधिकारियों को इन नियमों के अधीन यथोचित श्रेणी में ऐसी श्रेणियों में उनकी नियमित नियुक्ति की तारीख से नियुक्त किया गया समझा जाएगा और वे सेवा के सदस्य होंगे ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व की गई नियमित सतत् सेवा की परिवीक्षा, प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा, सेवा में पुष्टि और पेंशन के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा ।

(3) नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के विभिन्न उपबंधों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में प्राधिकृत नियमित संख्या में भर्ती न कर पाने की दशा में उन पदों को नियम 10 और नियम 11 के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा ।

7. रक्षा सेवाओं में सेवा करने का दायित्व -

उक्त पद पर नियुक्त किए गए प्रत्येक व्यक्ति से, यदि अपेक्षित हो तो भारत की रक्षा से संबंधित किसी रक्षा सेवा या पद पर प्रशिक्षण की अवधि, यदि कोई हो, सहित पांच वर्ष से अन्यून अवधि की सेवा करने का दायित्व होगा :

परंतु यह कि ऐसे व्यक्ति से,-

(क) ऐसी नियुक्ति की तारीख से दस वर्षों की अवधि की पूर्वोक्तानुसार सेवा करने की अपेक्षा नहीं होगी ; और

(ख) यदि उसने पैंतालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तो पूर्वोक्तानुसार सेवा करने की अपेक्षा नहीं होगी ।

8. निजी प्रैक्टिस का प्रतिषेध -

(1) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों द्वारा किसी भी तरह की निजी प्रैक्टिस जिसके अंतर्गत परामर्शी और प्रयोगशाला प्रैक्टिस भी है करना अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(2) ऐसे व्यक्ति तथापि, प्रैक्टिस बन्दी भत्ते के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दरों पर हकदार होंगे ।

9. सेवा की अन्य शर्तें -

सेवा के सदस्यों की सेवा की अन्य विषयों के संबंध में शर्तें जिनके लिए इन नियमों में अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है यथावश्यक परिवर्तनों सहित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा सेवा के संबंध में जारी किए गए विशेष आदेश के अधीन रहते हुए वही होंगी जो केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों को साधारणतया लागू होती हैं ।

10. सेवा का भावी अनुरक्षण -

(1) अनुसूची 1 में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी में रिक्तियां नियम 6 के अधीन आरंभिक गठन के पश्चात् इस नियम में इसके पश्चात् उपबंधित रीति में भरी जाएंगी ।

(2) सेवा के चिकित्सा अधिकारी के ग्रेड में सभी रिक्तियां आयोग द्वारा शैक्षिक अर्हताओं, अनुभव और आयु सीमा जैसा कि अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट है को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों में से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी ।

(3) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी की सभी श्रेणियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यकारी चयन श्रेणी) और ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में सभी रिक्तियां अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट रीति में भरी जाएंगी ।

(4) उपनियम (3) के अधीन प्रत्येक मामले में चयन अनुसूची 3 के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर किया जाएगा ।

(5) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(6) प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

11. प्रतिनियुक्ति पर ड्यूटी पदों का भरा जाना -

(1) नियम 10 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वे लेखबद्ध कारणों से और आयोग के परामर्श से अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किसी भी श्रेणी में कुल मिलाकर दो से अनधिक पदों को केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, कानूनी निकायों, स्वायत्त

संगठनों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारियों में से लघु अवधि संविदा के आधार पर भर सकेगी ।

(2) प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर उसी या किसी अन्य संगठन या केन्द्रीय सरकार के विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है, या अल्पकालिक संविदा है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(3) इस नियम के अधीन सेवा की किसी श्रेणी में नियुक्ति के लिए अर्हताएं, अनुभव और पात्रता सेवा अनुसूची 2 और अनुसूची 4 के अनुसार होंगी जिनका विनिश्चय सरकार द्वारा प्रत्येक अवसर पर आयोग के परामर्श से किया जाएगा ।

(4) पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

(5) प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(6) प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्रीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्रीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

12. ज्येष्ठता -

(1) नियम 6 के अधीन सेवा के आरंभिक गठन के समय सेवा की किसी श्रेणी में नियुक्त सेवा के सदस्यों की संबंधित ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को यथाअभिप्राप्त अनुसार होगी :

परंतु यह कि यदि ऐसे किसी सदस्य की ज्येष्ठता विनिर्दिष्ट उक्त तारीख को अवधारित नहीं की गई है तो उसका अवधारण ज्येष्ठता नियत करने का प्रशासन करने वाले नियमों के आधार पर किया जाएगा जैसे कि इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व सेवा के सदस्यों को लागू होता था ।

(2) प्रारंभिक गठन के पश्चात् सेवा में भर्ती किए गए सदस्यों की ज्येष्ठता का अवधारण सरकार द्वारा इस विषय में समय-समय पर जारी साधारण अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा ।

13. परिवीक्षा -

(1) सीधी भर्ती द्वारा सेवा की चिकित्सा अधिकारी की श्रेणी में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होगा :

परंतु यह कि नियंत्रक प्राधिकारी परिवीक्षा की अवधि का सरकार द्वारा इस विषय में समय-समय पर जारी साधारण अनुदेशों के अनुसार विस्तार कर सकेगा ।

(2) परिवीक्षा की या उसके किसी विस्तार की अवधि पूर्ण करने पर सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों को, यदि सेवा में पुष्टि के लिए उचित माना जाए तो उनकी समय-समय पर प्रवृत्त सरकार के आदेशों के निबंधनों के अनुसार सेवा में पुष्टि की जाएगी ।

(3) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान सरकार की यह राय है कि कोई अधिकारी सेवा में पुष्टि के लिए फिट नहीं है तो सरकार अधिकारी को सेवा में, यथास्थिति, उसको पद से उन्मोचित कर सकेगी या उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगी ।

(4) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान किसी अधिकारी से सरकार प्रशिक्षण के ऐसे पाठ्यक्रम करने की या ऐसी परीक्षा या परीक्षण (जिसके अंतर्गत हिन्दी की परीक्षा भी है) जैसा कि सरकार

उचित समझे परिवीक्षा की समाधानप्रद रूप से पूरा करने की एक शर्त के रूप में पास करने की अपेक्षा कर सकेगी ।

(5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य विषयों के संबंध में सेवा के सदस्य इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों से शासित होंगे ।

14. सेवा में नियुक्ति -

सेवा में सभी नियुक्तियां नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा अधिकारी, ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यकारी चयन समिति) और सेवा की ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में की जाएंगी और न कि सेवा में सम्मिलित किसी अन्य विशिष्ट पद पर ।

15. तैनाती -

सेवा का प्रत्येक सदस्य जब तक उसे किसी काडर बाह्य पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है या अन्यथा वह लोक सेवा की आकस्मिकताओं के कारण ड्यूटी पद धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं है, को भारत सरकार या प्रशासक के अधीन किसी ड्यूटी पद पर तैनात किया जाएगा ।

16. निर्हरता - वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि नियंत्रक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

17. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

18. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

19. निर्वचन -

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उदभूत होता है तो उसका विनिश्चय सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से किया जाएगा ।

"अनुसूची 1

[नियम 3(2) और नियम 4(1) देखें]

अंदमान और निंकोबार स्वास्थ्य सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में ड्यूटी पदों का नाम संख्या और वेतनमान

क्रम सं.	सेवा की श्रेणी और स्वीकृत संख्या	
	क. सेवा की श्रेणियां	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान
1.	चिकित्सा अधिकारी (समूह क)	वेतन बैंड - 3, प्रैक्टिस बंदी भत्ता सहित धन 5400 रू ग्रेड वेतन के साथ 15600-39100 रू0

876 GI/13-2

2.	ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी (समूह क)	वेतन बैंड - 3, प्रैक्टिस बंदी भत्ता सहित धन 6600 रू ग्रेड वेतन के साथ 15600-39100 रू0
3.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (समूह क)	वेतन बैंड - 3, प्रैक्टिस बंदी भत्ता सहित धन 7600 रू ग्रेड वेतन के साथ 15600-39100 रू0
4.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यकारी चयन श्रेणी)	वेतन बैंड - 3, प्रैक्टिस बंदी भत्ता सहित धन 8700 रू ग्रेड वेतन के साथ
5.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	वेतन बैंड -4, प्रैक्टिस बंदी भत्ता सहित धन 10000 रू ग्रेड वेतन के साथ
ख. स्वीकृत सं. (पांच श्रेणियों सहित)		पदों की संख्या
1.	चिकित्सा अधिकारी श्रेणी (सभी चार श्रेणियों सहित)	107
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	04
	(i) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर	01
	(ii) चिकित्सा अधीक्षक, जी.बी.पंत अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर	01
	(iii) चिकित्सा अधीक्षक, बिशप जॉन रिचर्डसन अस्पताल, कार निकोबार	01
	(iv) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, उत्तरी और मध्य अंदमान, मायाबुंदर	01
	योग	111 पद

"अनुसूची 2

[नियम 10(3) और नियम 11 देखें]

क्रम सं.	**पद का नाम**	**भर्ती की पद्धति**	**चयन का क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा**
1.	चिकित्सा अधिकारी	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली लिखित परीक्षा के पश्चात् साक्षात्कार के आधार पर या उक्त आयोग द्वारा केवल अनुसूची 4 में विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताओं तथा अनुभव के अनुसरण में केवल साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । भर्ती के लिए अनुसरण की जाने वाली वास्तविक पद्धति का विनिश्चय नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा ।	सीधी भर्ती के लिए लागू अर्हताएं, अनुभव और आयुसीमा अनुसूची 4 में दिए गए अनुसार हैं

2.	ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी	सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए रिक्तियों के साथ किसी संबंध के बिना समय-समय पर विहित मानदंड और प्रक्रिया के अनुसार प्रोन्नति द्वारा	वेतन बैंड - 3 में 15600-39100 रू0 के साथ 5400 रू ग्रेड वेतन सहित 8000-13500 के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में चार वर्ष की नियमित सेवा
3.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए रिक्तियों के साथ किसी संबंध के बिना समय-समय पर विहित मानदंड और प्रक्रिया के अनुसार प्रोन्नति द्वारा	वेतन बैंड - 3 में 15600-39100 रू0 के साथ 6600 रू ग्रेड वेतन सहित 10000-15200 के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में पांच वर्ष की नियमित सेवा
4.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यकारी चयन श्रेणी)	सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए रिक्तियों के साथ किसी संबंध के बिना समय-समय पर विहित मानदंड और प्रक्रिया के अनुसार प्रोन्नति द्वारा	वेतन बैंड - 3 में 15600-39100 रू0 के साथ 7600 रू ग्रेड वेतन सहित 12000-16500 के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में चार वर्ष की नियमित सेवा
5.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए रिक्तियों के साथ किसी संबंध के बिना समय-समय पर विहित मानदंड और प्रक्रिया के अनुसार प्रोन्नति द्वारा	वेतन बैंड - 4 में 37400-67000 रू0 के साथ 8700 रू ग्रेड वेतन सहित 14300-18300 के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में सात वर्ष की नियमित सेवा या वेतन बैंड - 3 में 15600-39100 रू0 के साथ 8700 रू ग्रेड वेतन सहित बीस वर्ष की नियमित सेवा

"अनुसूची 3

[नियम 10(4) देखें]

क्रम सं.	श्रेणी	विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना
1.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	<u>**प्रोन्नति पर विचार करने के लिए**</u> 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव, अंदमान और निकोबार प्रशासन - सदस्य 3. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली - सदस्य

		4. सचिव (स्वास्थ्य), अंदमान और निकोबार प्रशासन - सदस्य
2.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यकारी चयन श्रेणी), मुख्य चिकित्सा अधिकारा और ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी	**प्रोन्नति पर विचार करने के लिए** 1. मुख्य सचिव, अंदमान और निकोबार प्रशासन - अध्यक्ष 2. सचिव (स्वास्थ्य), अंदमान और निकोबार प्रशासन - सदस्य 3. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली - सदस्य
3.	चिकित्सा अधिकारी	**पुष्टि पर विचार करने के लिए** 1. मुख्य सचिव, अंदमान और निकोबार प्रशासन - अध्यक्ष 2. सचिव (स्वास्थ्य), अंदमान और निकोबार प्रशासन - सदस्य 3. निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली - सदस्य

"अनुसूची 4

[नियम 10(2) और नियम 11 देखें]

अंदमान और निकोबार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी की श्रेणी में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं, अनुभव और आयुसीमा

श्रेणी	**वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान**	**आयु**	**अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
चिकित्सा अधिकारी	वेतन बैंड - 3, 15600-39100 रू0 के साथ 5400 रू ग्रेड वेतन	30 वर्ष से अनधिक	(1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग 2 (अनुज्ञप्तिप्राप्त अर्हताओं से भिन्न) में सम्मिलित कोई मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता । टिप्पण - भाग 2 में सम्मिलित शैक्षिक अर्हताओं के धारक को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (3) में नियत शर्तों को भी पूरा करना चाहिए । (2) अनिवार्य चक्रानुक्रमी इन्टर्नसिप पूरी की होनी चाहिए । टिप्पण 1 - ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने चक्रानुक्रमी इन्टर्नसिप पूरी नहीं की है लिखित परीक्षा में भाग लेने के पात्र होंगे परंतु यह कि चयन की स्थिति में उन्हें नियुक्ति से पूर्व अनिवार्य इन्टर्नसिप समाधानप्रद रूप से पूरी करनी होगी । टिप्पण 2 - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में लेखबद्ध कारणों से संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण 3 - आयु-सीमा अवधारित करने के

			लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

[सं. ए. 11018/1/2009-एमएच-2/एच (भाग-2)]

संजय पंत, अवर सचिव

टिप्पण.— ये नियम उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । तथापि, नियम 6 उक्त नियम में निर्दिष्ट पदधारियों की सेवाओं को नियमित करने की दृष्टि से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा और यह प्रमाणित किया जाता है कि नियम 6 को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति का हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2013

G.S.R. 157(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Andaman and Nicobar Islands (Health Service) Rules, 1997, published under the notification of the Andaman and Nicobar Administration number 81/97/F/No.25-58/95 MPH dated the 12th June, 1997, in the Andaman and Nicobar Gazette dated the 12th June, 1997, except as respects things done or omitted to be done, the President hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.-**

(1) These rules may be called the Andaman and Nicobar Islands (Health Service) Rules, 2013.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-**

In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) "Administration" means the administrator appointed under article 239 of the Constitution for the Union territory of Andaman and Nicobar Islands;

(b) "Commission" means the Union Public Service Commission;

(c) "Controlling Authority" means the Administrator, for the post of Medical Officer, Senior Medical Officer and Chief Medical Officer and the Government of India, Ministry of Health and Family

Welfare for the posts of Chief Medical Officer (Non-functional Selection Grade) and Senior Administrative Grade;

(d) "Departmental Promotion Committee" means the Committee for considering cases of promotion or confirmation in Group 'A' posts as specified in Schedule III;

(e) "duty post" means any post included in Schedule I;

(f) "Government" means the Government of India;

(g) "grade" means any of the grades specified in Schedule-I;

(h) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(i) "Service" means the Andaman and Nicobar Islands Health Service constituted under rule 3.

3. **Composition of the Service and its classification.-**

(1) There shall be constituted a service known as the Andaman and Nicobar Islands Health Service.

(2) The service shall have five grades as specified in Schedule-I.

(3) The posts in the five grades shall be General Central Service Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial)..

4. **Grades, strength and their review.-**

(1) The duty posts included in the various grades, their number and the pay band and grade pay or pay scale on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule I.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Government may:-

(a) Make temporary additions or alterations to the duty posts in various grades;

(b) in consultation with the Commission, include in the Service such posts as can be deemed to be equivalent to the posts included in the Service in status, grade, pay band and grade

pay or pay scale and professional content or exclude from the Service a duty post already included in the Service; and

(c) in consultation with the Commission, appoint the regular incumbent of the post which has been included in the Service as a duty post, to the appropriate grade of the Service and fix his seniority taking into account the regular service rendered by him in the said post, in accordance with the general orders or instructions of the Government issued from time to time.

(3) Notwithstanding anything contained in clauses (b) and (c) of sub-rule (2), in case any regular incumbent of the post which has been encadred in the Service is not found suitable for appointment to the Service under clauses (c) of sub-rule (2), he shall continue to hold the post and for the purpose the post shall be treated to have been excluded from the Service till such time it is held by such incumbent, and the suitability of such persons for induction into the Service will be reviewed every year.

5. **Members of the Service.**-

(1) The following persons shall be the members of the Service, namely:-

(a) persons appointed to duty posts under rule 6 ; and

(b) persons appointed to duty posts under rule 10.

(2) A person referred to in clause (a) of sub-rule (1)shall, on such appointment made under rule 6, be deemed to be the member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule I.

(3) A person referred to in clause (b) of sub-rule (1)shall, from the date of such appointment made under rule 10, be the

member of the Service in the appropriate grade applicable to him in the said Schedule.

6. **Initial Constitution of the Service.-**

(1) All existing officers holding duty posts on regular basis and found suitable for appointment in the Andaman and Nicobar Health Service on regular basis on or before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules in the appropriate grade from the date of their regular appointment to such grades, and they shall be members of the Service.

(2) The regular continuous service rendered by the officers referred to in sub-rule (1) before the commencement of these rules shall count for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the Service.

(3) To the extent the Controlling Authority is not able to fill authorised regular strength of various grades, in accordance with the provisions of these rules, the same shall be filled in accordance with the provisions of rules 10 and 11.

7. **Liability to serve in Defence Services.-**

Every person appointed to the said post shall, if so required, be liable to serve in any defence service or post connected with the defence of India, for a period of not less than five years including the period, if any, spent on training:

Provided that any such person shall not,-

(a) be required to serve as aforesaid at the expiry of ten years from the date of such appointment; and

(b) be required to serve as aforesaid, if he has attained the age of forty-five years.

8. Prohibition of private practice.-

(1) Persons appointed to the Service, shall not be allowed private practice of any kind whatsoever, including any consultation and laboratory practice.

(2) Such persons shall, however, be entitled to non-practicing allowance at the rates specified by the Government of India from time to time.

9. **Other conditions of service.-**

The conditions for service of the members of the Service in respect of matters not expressly provided in these rules shall, mutatis mutandis and subject to special Order issued by the Controlling Authority in respect of the Service, be the same as those applicable to the officers of the Central Civil Service, in general.

10. **Future maintenance of the Services.-**

(1) The vacancies in any of the grades referred to in Schedule I, after the initial constitution under rule 6, shall be filled in the manner hereinafter provided in this rule.

(2) All the vacancies in the grade of Medical Officer of the Service shall be filled by direct recruitment by the Commission from amongst candidates fulfilling the conditions as regards educational qualifications, experience and age-limit, as specified in Schedule-IV.

876 GI/13-4

(3) All the vacancies in the grades of Senior Medical Officer, Chief Medical Officer, Chief Medical Officer (Non-functional Selection Grade) and Senior Administrative Grade shall be filled in the manner, as specified in Schedule-II.

(4) The selection in each case under sub-rule (3) shall be on the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with Schedule-III.

(5) Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(6) For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

11. **Filling of duty posts by deputation:-**

(1) Notwithstanding anything contained in Rule 10, where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, fill not more than two duty posts in all, in any of the Grades specified in Schedule-I by deputation of officers holding analogous posts under the Central or State Government or Union territories or on short term contract basis of officers holding analogous posts under the public sector undertakings, statutory bodies autonomous, organisations, Universities or recognized Research Institutions.

(2) The period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government, or the short term contract shall ordinarily not to exceed three years.

(3) The qualifications, experience and the eligibility service for appointment to any grade of the service under this rule shall be in accordance with Schedule-II and Schedule-IV, and decided by the Government in consultation with the Commission on each occasion.

(4) The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(5) The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56

years as on the closing date of the receipt of applications.

(6) For the purpose of appointment on deputation or absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation

12. **Seniority.-**

(1) The relative seniority of members of the Service appointed to a grade of the Service, at the time of initial constitution of the Service under rule 6, shall be as obtaining on the date of commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any such member has not been specifically determined on the said date, the same shall be as determined on the basis of the rules governing the fixation of seniority as were applicable to the members of the Service prior to the commencement of these rules.

(2) The seniority of the persons recruited to the Service after the initial constitution shall be determined in accordance with the

general instructions issued by the Government in the matter from time to time.

13. **Probation:-**

(1) Every officer on appointment to the grade of Medical Officer of the Service by direct recruitment shall be on probation for a period of two years.

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time in this behalf.

(2) On completion of the period of probation, or any extension thereof, directly recruited officers shall, if considered fit for confirmation in the service, be confirmed in terms of the orders of the Government for the time being in force.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that an officer is not fit for confirmation in the service, the Government may discharge the officer or revert him to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.

(4) During the period of probation, or any extension thereof, an officer may be required by the Government to undergo such courses of training or to pass such examination or tests (including examination in Hindi) as the Government may deem fit, as condition for satisfactory completion of probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the Service shall be governed by the orders or instructions issued by the Government in this regard from time to time.

14. **Appointment to the service**:-

All appointments to the Service shall be made by the Controlling Authority to the grades of Medical Officer, Senior Medical Officer, Chief Medical Officer, Chief Medical Officer (Non-

876 GI/13-5

functional Selection Grade) and Senior Administrative Grade of the Service and not against any specific post included in the Service.

15. **Posting** :-

Every member of the Service shall, unless he is appointed to an ex-Cadre post, or is otherwise not available for holding a duty post owing to the exigencies of the public service, be posted against a duty post under the Government of India or the Administrator.

16. **Disqualification** :-

No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the Service.

Provided that the Controlling Authority may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

17. **Power to relax** :-

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

18. **Savings:**-

Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Class and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

19. **Interpretation:**-

If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be decided by the Government in consultation with the Commission.

SCHEDULE –I

[See rule 3(2) and rule 4(1)]

Name, number and scale of pay of duty posts in the various grades of Andaman and Nicobar Health Services

S.No.	Grades and sanctioned strength of the Service	
	A. Grades of the Service	Pay band and grade pay or pay scale
1.	Medical Officer (Group A)	Pay band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 5400 plus non-practicing allowance
2.	Senior Medical Officer (Group A)	Pay band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 6600 plus non-practicing allowance
3.	Chief Medical Officer (Group A)	Pay band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 7600 plus non-practicing allowance
4.	Chief Medical Officer (Non-functional Selection Grade)	Pay band-3, Rs. 37400-67000 with grade pay of Rs. 8700 plus non-practicing allowance
5.	Senior Administrative Grade	Pay band-4, Rs. 37400-67000 with grade pay of Rs. 10000 plus non-practicing allowance.
	B. Sanctioned strength (including five grades)	Number of posts
	General Duty Medical Officer Sub-Cadre	
1.	Medical Officer grade (including all the four grades)	107
2.	Senior Administrative Grade	04
	(i) Director of Health Services, Andaman and Nicobar Islands, Port Blair	01
	(ii) Medical Superintendent, GB Pant Hospital, Port Blair	01
	(iii) Medical Superintendent, Bishop John Richardson Hospital, Car Nicobar	01
	(iv) Medical Officer I/c, North & Middle Andaman, Mayabunder	01
	Total	**111 Posts**

SCHEDULE – II

(See rule 10(3) and rule 11)

Sl. No.	Name of the post	Method of Recruitment	Field of selection and minimum qualifying service for promotion.
1.	Medical Officer	By direct recruitment, on the basis of written examination to be conducted by the Union Public Service Commission, to be followed by an interview, or selection by the said Commission by interview only in accordance with age-limit and educational qualifications and experience as prescribed in Schedule IV. The exact method of recruitment to be followed shall be decided by the Controlling Authority in consultation with the Union Public Service Commission on each occasion.	The qualifications, experience and age limit applicable for direct recruitment are as given in Schedule IV.
2.	Senior Medical Officer	By promotion as per the criteria and procedure prescribed by the Government from time to time for this purpose without linkage to vacancies.	Four years regular service in pay band-3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 5400/- including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 8000-13500/-.
3.	Chief Medical Officer	By promotion as per the criteria and procedure prescribed by the Government from time to time for this purpose without linkage to vacancies.	Five years regular services in pay band-3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 6600/- including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 10000-15200/-.
4.	Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade)	By promotion as per the criteria and procedure prescribed by the Government from time to time for this purpose without linkage to vacancies.	Four years regular service in pay band-3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 7600/- including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 12000-16500/-.
5.	Senior Administrative Grade	By promotion as per the criteria and procedure prescribed by the Government from time to time for this purpose without linkage to vacancies.	Seven years regular service in pay band-4, Rs. 37400-67000 with grade pay of Rs. 8700/- including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 14300-18300 or in pay band 3 Rs.15600-39100/-with grade pay of Rs.8700/- with twenty years of regular service.

876 GI/13-6

SCHEDULE - III
[see rule 10(4)]

S. No.	Grade	Composition of Departmental Promotion Committee
1.	Senior Administrative Grade	**For considering promotion** 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Chief Secretary, Andaman and Nicobar Administration - Member 3. Director General of Health Services, New Delhi - Member 4. Secretary (Health) Andaman and Nicobar Administration - Member
2.	Chief Medical Officer (Non-functional Selection Grade), Chief Medical Officer and Senior Medical Officer	**For considering promotion** 1. Chief Secretary, Andaman and Nicobar Administration - Chairman 2. Secretary (Health) Andaman and Nicobar Administration - Member 3. Director General of Health Services, New Delhi - Member
3.	Medical Officer	**For considering confirmation.** 1. Chief Secretary Andaman and Nicobar Administration - Chairman 2. Secretary (Health) Andaman and Nicobar Administration - Member 3. Director of Health Service, Andaman and Nicobar Islands - Member

SCHEDULE - IV
[See rule 10(2)and Rule 11]

Minimum educational and other qualifications, experience and age- limit for direct recruitment to the grade of medical officer in the Andaman and Nicobar Health Service

Grade	Pay band and grade pay or pay scale	Age	Educational and other qualifications required
Medical Officer	Pay band-3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs.5400/-	Not exceeding 30 years	(1)A recognized medical qualification included in the First or Second Schedule or Part-II of the Third Schedule (other than Licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. **Note:** Holders of educational qualifications included in Part-II of the

			Third Schedule should also fulfill the condition stipulated in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956. (2) Should have completed compulsory rotating Internship. **Note 1:** Candidates who may not have completed rotating internship shall be eligible to appear for the written examination provided that, if selected, they shall have to satisfactorily complete the compulsory internship before appointment. **Note 2:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 3:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, the Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

[No. A. 11018/1/2009-MH-II/H (Part-II)]
SANJAY PANT, Under Secy.

Note.— These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette, however rule 6 shall come into force with retrospective effect with a view to regularise the services of the incumbents as referred to in the said rule and it is certified that by giving retrospective effect to rule 6, the interest of no body is likely to be adversely effected.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.